F. No.1-14/2026/Affiliation/7072

कार्यालय / **Office**

लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Health Sciences and Technical Council, New Delhi

भूतपूर्व नामः— लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

Formerly Known: Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council

Member: National Allied and Healthcare Professional Association

मान्यता अनुभाग / **Affiliation Department**

वेबसाइट / **www.lbspstc.com**

****

दिनांक / **Dated: 24.06.2026**

अनुपालन पत्र

सेवा में,

प्राचार्य / अध्यक्ष महोदय,

सार्थक नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज

पताः— कंसरा मंगला, करायलाया, अशोक स्तम्भ

नासिक, महाराष्ट्र पिन कोडः— 422003

विषयः— 23 / 06 / 2026 को निरीक्षण के दौरान कमियों की पूर्ति एवं अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु 06 (छह) माह की अवधि प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय

यह पत्र इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आपके संस्थान के निरीक्षण / इंस्पेक्शन के समय जो कमियां पाई गई थीं, उनकी पूर्ति परिषद् के नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है। परिषद् द्वारा प्रकरण पर विचारोपरांत आपको उक्त कमियों की पूर्ति हेतु इस पत्र के निर्गमन की तिथि से **06 (छह)** माह का समय प्रदान किया जाता है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित अवधि के भीतर समस्त कमियों को पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन, संबंधित अभिलेखों, प्रमाण—पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित परिषद् कार्यालय में प्रस्तुत करें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कमियों की पूर्ति नहीं की जाती है अथवा अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्रचलित नियमों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक / प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संस्थान की होगी।

नोट: संबंधित संस्थान के निदेशक / सचिव को निर्देशित किया जाये कि 6 माह के भीतर पूर्ण अभिलेख तथा संस्थान को समस्त उपकरण पूर्ण कर अनुपालना आख्या मुहैया कराई जाये।

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

अतः आप आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय–सीमा के भीतर अनुपालन प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सचिव,

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
मान्यता अनुभाग
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान
एवं प्राविधिक परिषद

प्रष्ठांकन संख्याः– F.1-14/2026/मान्यता अनुभाग / दिनांकः 24/06/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. **अध्यक्ष**, लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद भारत।
2. **अधिकारी, निरीक्षण प्रकोष्ठ/संबद्धता विभाग**:–आवश्यक परीक्षण अभिलेखीकरण एवं नियमानुसार आगामी कार्यवाहीार्थ।
3. परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
4. **कार्यालय अभिलेख**– भावी संदर्भ, अभिलेखीय संधारण एवं आवश्यक प्रयोजनार्थ सुरक्षित।

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
मान्यता अनुभाग
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान
एवं प्राविधिक परिषद

परिशिष्ट–अ

यह संबद्धता निम्नलिखित बिन्दुओं एवं परिषद के नियत मानकों के पूर्ण अनुपालन के अधीन प्रदान की जा रही हैः–

1. **बुनियादी ढांचाः**– संस्थान को परिषद एवं संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित भवन, प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय के मानकों को निरंतर बनाए रखना अनिवार्य होगा।
2. **संकाय स्वीकृतः**– पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु योग्य, अनुभवी एवं पूर्णकालिक शिक्षण संकाय की नियुक्ति अनिवार्य है।
3. **प्रवेश प्रक्रियाः**– छात्रों का प्रवेश राज्य सरकार/परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता मानदंडों एवं मेरिट प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाएगा।
4. **उपस्थितिः**– परीक्षा में बैठने हेतु छात्रों की न्यूनतम उपस्थिति (नियमों के अनुसार 75: या 80:) सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
5. **परीक्षाएंः**– संस्थान को परिषद द्वारा आयोजित सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराने में पूर्ण सहयोग देना होगा।

संयुक्त सचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

6. **शुल्क**:– छात्रों से केवल वही शुल्क लिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी / राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित एवं निर्धारित किया गया हो।
7. **रैगिंग निषेध**:– संस्थान परिसर एवं छात्रावासों में **एंटी–रैगिंग समिति** का गठन और यूजीसी/सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य है।
8. **क्लिनिकल सुविधाएं**:– नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए न्यूनतम 100–बेड वाले मान्यता प्राप्त अस्पताल से क्लिनिकल प्रशिक्षण का वैध एमओयू निरंतर प्रभावी होना चाहिए।
9. **अभिलेख रखरखाव**:– छात्रों, कर्मियों, प्रवेश, उपस्थिति, आंतरिक मूल्यांकन, प्रशिक्षण एवं शुल्क संबंधी सभी अभिलेख अद्यतन एवं सुरक्षित रखे जाएंगे तथा निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे।
10. **औचक निरीक्षण**:– परिषद किसी भी समय संस्थान का औचक निरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
11. **मानकों का अनुपालन**:– यदि निरीक्षण में कोई कमी पाई जाती है, तो संस्थान को दी गई समय–सीमा के भीतर कमियों का निवारण करना अनिवार्य होगा।
12. **सूचना प्रदर्शन**:– संबद्धता प्रमाण पत्र, स्वीकृत सीटें, शुल्क संरचना एवं संकाय की जानकारी संस्थान के नोटिस बोर्ड एवं आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।
13. **अतिरिक्त प्रवेश निषेध**:– स्वीकृत सीटों से अधिक प्रवेश लेना पूर्णतः अवैध होगा। ऐसे छात्रों के पंजीकरण की कोई जिम्मेदारी परिषद की नहीं होगी।
14. **नवीनीकरण**:– आगामी सत्र की संबद्धता हेतु संस्थान को निर्धारित समय–सीमा के भीतर शुल्क सहित नवीनीकरण आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
15. **संबद्धता रद्दीकरण**:– उपर्युक्त नियमों या मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर परिषद संबद्धता रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
16. **कानूनी अधिकार क्षेत्र**:– संबद्धता से संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र केवल संबंधित न्यायालय होंगे।
17. **पुस्तकालय व्यवस्था**:– प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक पाठ्यपुस्तकों, संदर्भ ग्रंथों, जर्नलों एवं ई–लर्निंग संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
18. **प्रयोगशाला उपकरण**:– सभी प्रयोगशालाएं निर्धारित उपकरणों, उपभोग्य सामग्री एवं सुरक्षा मानकों से युक्त होंगी तथा उनका नियमित रखरखाव किया जाएगा।
19. **छात्र–शिक्षक अनुपात**:– परिषद/नियामक मानकों के अनुरूप छात्र–शिक्षक अनुपात बनाए रखना अनिवार्य होगा।
20. **बायोमेट्रिक/उपस्थिति अभिलेख**:– छात्र एवं संकाय की उपस्थिति का प्रामाणिक अभिलेखीकरण संस्थान द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा।
21. **आंतरिक मूल्यांकन**:– आंतरिक परीक्षाएं, प्रायोगिक मूल्यांकन एवं प्रगति प्रतिवेदन नियमानुसार संचालित कर अभिलेख सुरक्षित रखे जाएंगे।
22. **छात्रावास एवं सुरक्षा**:– यदि छात्रावास संचालित है, तो स्वच्छता, सुरक्षा, पेयजल, विद्युत, अग्नि सुरक्षा एवं पर्यवेक्षण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
23. **स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर वातावरण**:– परिसर, कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, शौचालय एवं प्रशिक्षण स्थलों पर स्वच्छता एवं स्वास्थ्यकर वातावरण बनाए रखना संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
24. **अग्नि एवं आपदा सुरक्षा**:– संस्थान को अग्निशमन यंत्र, आपात निकास, सुरक्षा संकेतक एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था कार्यशील स्थिति में बनाए रखना होगा।
25. **नैतिक आचरण**:– संस्थान को छात्र–हित, लैंगिक संवेदनशीलता, भेदभाव–निषेध तथा पेशेवर आचरण से संबंधित नियमों का पालन करना होगा।
26. **छात्रवृत्ति एवं अभिलेख सत्यापन**:– पात्र छात्रों से संबंधित छात्रवृत्ति, प्रमाण–पत्र सत्यापन एवं नामांकन संबंधी सूचनाएं समय से उपलब्ध कराई जाएंगी।
27. **वेबसाइट अद्यतन**:– संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर पाठ्यक्रम, सीटें, संकाय, शुल्क, अवसंरचना, मान्यता/संबद्धता स्थिति एवं संपर्क विवरण नियमित रूप से अद्यतन रहेंगे।

Abhiri Shubhangi Anjali

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

28. **शैक्षणिक कैलेंडरः**— संस्थान परिषद / प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक कैलेंडर, अवकाश तालिका एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का पालन करेगा।
29. **प्रशिक्षण / इंटर्नशिप प्रबंधनः**— क्लिनिकल / प्रायोगिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप अथवा फील्ड पोस्टिंग नियत मानकों एवं स्वीकृत संस्थानों में ही कराई जाएगी।
30. **परिषद को सूचनाएं प्रेषित करनाः**— संस्थान को परिषद द्वारा समय—समय पर मांगी गई सूचनाएं, प्रतिवेदन, नामावली, परीक्षा विवरण एवं अनुपालन रिपोर्ट नियत अवधि में उपलब्ध करानी होंगी।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

संयुक्त सचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
मान्यता अनुभाग
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद

प्रष्ठांकन संख्याः— F.1-14/2026 / मान्यता अनुभाग / **दिनांकः 24 / 06 / 2026**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. **अध्यक्ष,** लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद भारत।
2. **अधिकारी, निरीक्षण प्रकोष्ठ / संबद्धता विभागः**—आवश्यक परीक्षण, अभिलेखीकरण एवं नियमानुसार आगामी कार्यवाहीार्थ।
3. **समस्त विभागीय अध्यक्ष एवं परीक्षा नियंत्रक।**
4. **आईटी सेल (नवीन वेबसाइट पर अधिसूचना अपलोड करने हेतु)।**
5. **परीक्षा नियंत्रक,** लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद भारत।
6. **कार्यालय अभिलेख**— भावी संदर्भ, अभिलेखीय संधारण एवं आवश्यक प्रयोजनार्थ सुरक्षित।

(श्री अभिषेक त्रिपाठी)
मान्यता अनुभाग
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद

Shubham
Anjali
A. Lin

F. No.1-14/2026/Affiliation/ 7072

कार्यालय / Office

लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद, नई दिल्ली

Lal Bahadur Shastri Health Sciences and Technical Council, New Delhi

भूतपूर्व नामः– लाल बहादुर शास्त्री पराचिकित्सीय कौशल एवं प्रशिक्षण परिषद

Formerly Known: Lal Bahadur Shastri Paramedical Skill and Training Council

Accredited by: National Healthcare Quality and Accreditation Council

Member: National Allied and Healthcare Professional Association

मान्यता अनुभाग / **Affiliation Department**

वेबसाइट / **www.lbspstc.com**

****

दिनांक / **Dated:** 24.06.2026

COMPLIANCE LETTER

To,

The Principal/Chairman,

Sarthak Nursing and Paramedical College

Address: Kansara Mangala, Karayalaya, Ashok Stambh

Nashik, Maharashtra, PIN Code: 422003

Subject: Regarding granting a period of 06 (six) months to ensure rectification and compliance of the deficiencies observed during the inspection dated 23/06/2026.

Sir,

This letter is being issued to inform you that the deficiencies observed during the inspection of your institution are required to be rectified in accordance with the rules of the Council. Upon consideration of the matter by the Council, you are hereby granted a period of **06 (six) months** from the date of issuance of this letter for compliance with the said deficiencies. You are expected to rectify all deficiencies within the stipulated period and submit the compliance report to the Council office along with the relevant records, certificates, and other necessary documents.

If the deficiencies are not rectified within the prescribed period, or if the compliance report is not submitted, necessary statutory/administrative action shall be taken under the prevailing rules, for which the entire responsibility shall rest with the institution.

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

Therefore, you are directed to ensure necessary action and submit compliance within the prescribed time limit.

Appendix-A

This affiliation is being granted subject to full compliance with the following points and the standards prescribed by the Council:

1. **Infrastructure:** The institution shall be required to continuously maintain the standards of buildings, laboratories, and library facilities as prescribed by the Council and the relevant regulatory authorities.
2. **Approved Faculty:** Appointment of qualified, experienced, and full-time teaching faculty shall be mandatory for conducting the courses.
3. **Admission Process:** Admission of students shall be made only on the basis of the eligibility criteria and merit process prescribed by the State Government/Council.
4. **Attendance:** It shall be the responsibility of the institution to ensure the minimum attendance required for appearing in examinations (75% or 80%, as per rules).
5. **Examinations:** The institution shall provide full cooperation in the smooth conduct of the theoretical and practical examinations organized by the Council.
6. **Fees:** Only such fees shall be charged from students as are approved and prescribed by the competent authority/State Government.
7. **Prohibition of Ragging:** It shall be mandatory to constitute an anti-ragging committee in the institution campus and hostels and to strictly comply with the guidelines of the UGC/Supreme Court.
8. **Clinical Facilities:** For nursing and paramedical courses, a valid MoU for clinical training with a recognized hospital having a minimum of 100 beds must remain continuously in force.
9. **Maintenance of Records:** All records relating to students, staff, admissions, attendance, internal assessment, training, and fees shall be kept updated and secure and shall be produced during inspection.
10. **Surprise Inspection:** The Council reserves the right to conduct a surprise inspection of the institution at any time.
11. **Compliance with Standards:** If any deficiency is found during inspection, the institution shall be required to rectify the deficiencies within the stipulated time.
12. **Display of Information:** The affiliation certificate, approved seats, fee structure, and faculty information shall be displayed on the institution's notice board and official website.
13. **Prohibition of Excess Admissions:** It shall be completely illegal to admit students in excess of the approved seats. The Council shall bear no responsibility for registration of such students.

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

14. **Renewal:** For affiliation for the next session, the institution shall submit the renewal application along with the prescribed fee within the stipulated time.
15. **Cancellation of Affiliation:** In case of violation of the above rules or standards, the Council reserves the right to cancel/suspend the affiliation.
16. **Legal Jurisdiction:** In the event of any dispute relating to the affiliation, jurisdiction shall lie only with the competent courts concerned.
17. **Library Arrangements:** It shall be the responsibility of the institution to ensure the availability of the required textbooks, reference books, journals, and e-learning resources for each course.
18. **Laboratory Equipment:** All laboratories shall be equipped with the prescribed equipment, consumables, and safety standards, and shall be regularly maintained.
19. **Student-Teacher Ratio:** It shall be mandatory to maintain the student-teacher ratio in accordance with the standards of the Council/regulatory authorities.
20. **Biometric/Attendance Records:** Authentic recording of the attendance of students and faculty shall be carried out regularly by the institution.
21. **Internal Assessment:** Internal examinations, practical assessments, and progress reports shall be conducted in accordance with the rules, and the records shall be safely maintained.
22. **Hostel and Safety:** If a hostel is being operated, proper arrangements for cleanliness, security, drinking water, electricity, fire safety, and supervision shall be ensured.
23. **Cleanliness and Hygienic Environment:** It shall be the responsibility of the institution to maintain cleanliness and a hygienic environment in the campus, classrooms, laboratories, toilets, and training sites.
24. **Fire and Disaster Safety:** The institution shall keep fire extinguishers, emergency exits, safety signages, and disaster management arrangements in working condition.
25. **Ethical Conduct:** The institution shall comply with rules relating to student welfare, gender sensitivity, non-discrimination, and professional conduct.
26. **Scholarship and Verification of Records:** Information relating to scholarships, certificate verification, and enrollment of eligible students shall be made available in a timely manner.
27. **Website Updates:** The institution's official website shall be regularly updated with courses, seats, faculty, fees, infrastructure, recognition/affiliation status, and contact details.
28. **Academic Calendar:** The institution shall follow the academic calendar, holiday schedule, and training program approved by the Council/competent authority.
29. **Training/Internship Management:** Clinical/practical training, internship, or field posting shall be conducted only in accordance with the prescribed standards and in approved institutions.
30. **Submission of Information to the Council:** The institution shall furnish, within the prescribed period, the information, reports, lists of names,

उपसचिव / Joint Secretary
लाल बहादुर शास्त्री ... एवं प्राविधिक ...
Lal Bahadur ... Health S... Technical Council

examination details, and compliance reports sought by the Council from time to time.

Authorized Signatory

लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य विज्ञान एवं प्राविधिक परिषद
Lal Bahadur Shastri Health Science And Technical Council

(Abhishek Tripathi)
Affiliation Department
Lal Bahadur Shastri
Health Sciences and Technical Council,
New Delhi.

Endorsement Number: F.1-14/2026 / Affiliation Department / **Date: 24 / 06 / 2026**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1- **Chairman,** Lal Bahadur Shastri Council of Health Sciences and Technology, India.
2- **Officer, Inspection Cell / Affiliation Department:** For necessary examination, record processing, and further action in accordance with rules.
3- **All Departmental Heads and Controller of Examinations.**
4- **IT Cell (for uploading the notification on the new website).**
5- **Office Record:** To be preserved for future reference, record maintenance, and other necessary purposes.

(Abhishek Tripathi)
Affiliation Department
Lal Bahadur Shastri
Health Sciences and Technical Council,
New Delhi.